(114)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 402–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 134/अपील/2004–05.

.....

महेश कुमार आत्मज मांगीलाल जायसवाल
निवासी बडा बाजार उन्हेल तहसील नागदा परगना खाचरोंद
जिला उज्जैन

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–ओंकारलाल आत्मज बसंतीलाल राठौर
निवासी राणा प्रताप मार्ग खाचरोद
जिला उज्जैन
2–उपपंजीयक नागदा तहसील खाचरोद
जिला उज्जैन
3–कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन

..... प्रत्यर्थीगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 24/1/13 को पारित )

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा ) की धारा 47–क(5) की उप धारा 4 व 5 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा विजय लक्ष्मीबाई वार्ड मोहल्ला पासलोद के रास्ते में भूमि सर्वे नम्बर 1302 व 1303/2 में स्थित प्लाट क्रय किया जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उपपंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य कम पाते हुये उचित मूल्यांकन हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 377/बी–105/03–04 दर्ज कर दिनांक 9–9–2004 को आदेश पारित कर किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्य 3,58,000/– अवधारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क 29,432/–जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–1–2005 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 23–11–2016 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण गुणदोष पर आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमों में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया विधिसंगत नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा जानकारी का स्त्रोत नहीं बतलाया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जिस सूचना पत्र के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी छायाप्रति अपील के साथ प्रस्तुत की गई थी साथ ही अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों में तथा शपथपत्र में भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाये ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मध्यप्रदेश लिखतों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 एवं 5 के पालन में विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर

प्रश्नाधीन संपत्ति की स्थिति, संरचना एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये बाजार मूल्य अवधारित कर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है और अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2005 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर